absorption to be made			
(11)	(12)		(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Confirm (for considering confirmation) con		Not applicable.
	1. Additional Director -Chairman;		
	2. Deputy Director (Rehab)	-Member;	
	3. Concerned Head of Department	-Member.	

[F. No.A.11018/37/2016-MH.II/NCD-I] DHARMINDER SINGH, Under Secy.

## नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2021

सा.का.िन. 153.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और "सफ़दरजंग अस्पताल (वर्ग III पद) भर्ती नियम, 1973" को, जहाँ तक उनका संबंध स्टीवर्ड के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में स्टीवर्ड के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु:-

- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़दरजंग अस्पताल, स्टीवर्ड (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2021 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ(4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ(13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता.** वह व्यक्ति-
  - (iii) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
  - (iv) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भृतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टीवर्ड	2* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500- 81100 रुपये)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच।  अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता के माध्यम से पद को भरने की स्थिति में 18 से 27 वर्ष की आयु के बीच।  (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार ऊपरी आयु-सीमा विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।  टिप्पण 1 आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले का पांगी उपखंड और लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक:  (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण।  (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा
संस्थान से होटल प्रबंधन में डिप्लोमा।  वांछनीय अनुभव:  किसी प्रतिष्ठित होस्टल/कैंटीन/मेस में स्टीवर्ड के रूप में एक वर्ष का अनुभव।  टिप्पण-1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी या			

कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, उन		
कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे,		
शिथिल की जा सकती हैं।		
टिप्पण-2 : अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित		
जातियों या अनुसूचित जनजातियों के		
अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी या		
कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, उन		
कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब		
शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी		
प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि		
उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए		
अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के		
अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की		
सम्भावना नहीं है।		

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रितिनेयुक्ति :  केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे अधिकारी:-  (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या  (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100 रुपये) या समतुल्य में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष की सेवा की हो; और  (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं रखते हों।  टिप्पण-1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-वाह्य पद पर	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति (पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्निलेखित से मिलकर बनेगी:  1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल - अध्यक्ष;  2. संबंधित विभागाध्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल - सदस्य;  3. उपनिदेशक (चिकित्सा अस्पताल), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य।	लागू नहीं होता ।
प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण-2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की		

2 2 2 2 2 2 2	
अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं	
होगी ।	
-	

[फा. सं.ए.11018/20/2021-एमएच II] गणेश कुमार, अवर सचिव

## New Delhi, the 2nd December, 2021

- **G.S.R. 153.**—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of "The Safdarjung Hospital (Class III posts) Recruitment Rules, 1973", in so far as relates to the post of Steward, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Steward in the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjang Hospital, New Delhi, namely:
- 1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjang Hospital, Steward ( Group C post), Recruitment Rules , 2021.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Number of posts, classification and level in pay matrix.**—The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. Disqualification.—No person,
  - a. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - b. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## **SCHEDULE**

Name of post	Number of	Classification	Level in pay	Whether selection	Age-limit for direct
	posts		Matrix	post	recruits
				or non-selection	
				post	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Steward	*2 (2021)	General Central	Level-4	Not applicable	Between 18 years and
	*subject to	Service, Group	(Rs. 25500-		25 years
	variation	'C'	81100)		In case of post being
	dependent on	Non- Gazetted,			filled up by all–India
	Workload	Non-Ministerial			open competition, it
					would be between 18
					years and 27 years of
					age. (The upper age

	limit is relaxable for
	departmental
	1 - 1 - 1
	forty years in
	accordance with
	the instructions of
	orders issued by the
	Central Government).
	Note: The crucial date
	for determining
	the age-limit shall be
	the closing date for
	receipt
	application from
	candidates of India
	and not the closing date
	prescribed for those in
	Assam Meghalaya
	Arunachal Pradesh
	Mizoram,
	Manipur Nagaland
	Tripura, Sikkim
	Lahaul and Spit
	Districts and Pang
	Sub Division of
	Chamba District of
	Himachal Pradesh
	Union territories of
	Ladakh Andaman and
	Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential:  i. 12 <sup>th</sup> Class Pass from a recognised Board.  ii. Diploma in Hotel Management from a recognised University or Institute.	Not applicable	Two years	By deputation failing which by direct recruitment.
Desirable Experience: One year experience as a Steward in a hostel/canteen/mess of a repute.  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority or the Staff Selection Commission for the reasons to be			

recorded in writing in	
case of candidates	
otherwise well qualified.	
Note 2: Qualifications	
regarding experience are	
relaxable at the discretion of	
the competent	
authority or the Staff	
Selection Commission for	
the reasons to be recorded in	
writing in the case of	
candidates belonging to the	
Scheduled Castes and the	
Scheduled Tribes if, at any	
stage of selection the	
competent authority is of	
the opinion that sufficient	
number of candidates	
belonging to these	
communities possessing the	
requisite experience are not	
likely to be available to fill up	
the vacancies reserved for	
them.	

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation Officers of the Central Government or State government or Union territories:	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-  1.Additional Medical Superintendent, Safdarjang Hospital -Chairman;	Not applicable
(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or	2. Head of the concerned department, Safdarjang hospital -Member;	
(ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level -3 (Rs. 21700 -69100) or equivalent in the parent cadre or department; and	3. Deputy Director (Medical Hospital), Directorate General Health Services -Member.	
(b) possessing the educational and other qualifications prescribed for direct recruits under column (7).		
Note 1: The Period of Deputation including in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall not to exceed three years.		
Note 2: The maximum age-limit for		

appointment by deputation shall be	oe
not exceeding fifty-six years on the	ne
closing date of receipt of	of
applications.	
applications.	

[F. No. A.11018/20/2021-MH.II] GANESH KUMAR, Under Secy.